UPSR010002462012

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Sri Awanish Gautam), (उच्चतर न्यायिक सेवा) –

UP01682

सत्र परीक्षण संख्याः-Session Trial 100062/2014

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––––अभियोगी

बनाम

आशाराम पुत्र बाबादीन उम्र 35 वर्ष पेशा मजदूरी साकिन शाहपुर कला थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती। ––––––––––अभियुक्त

धारा– 376, 392, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं

धारा 3 (1) (xii) अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

अपराध संख्या 1711/2011

थाना– मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती।

निर्णय

1– सिविल जज प्रवर खण्ड/ए0सी0जे0एम0, जनपद श्रावस्ती के आदेश दिनांक 14–03–2014 द्वारा यह पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् यह पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश 31–08–2019 द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रजनी पत्नी राजेश द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सीआर0पी0सी0 विरूद्ध अभियुक्तगण आशाराम व भग्गू इन कथनों का प्रस्तुत किया गया कि वह अनुसूचित जाति पासी महिला है। दिनांक 29–06–2011 को शाम करीब 8 बजे रात जब प्रार्थिनी का पति मजदूरी करने बाहर गया था प्रार्थिनी शाम को शौच के लिए घर के उत्तर के तरफ मैदान की ओर अकेली गयी थी। प्रार्थिनी अपने घर से 100 कदम दूर गयी जहां विपक्षीगण संख्या 1 ता 2 पहले से घात लगाकर बैठे थे और

प्रार्थिनी के पास पहुंच कर उसके चेहरे पर टार्च लगाया और विपक्षीगण ने प्रार्थिनी का मुंह साध कर उठा लिया और कुछ दूर गन्ने के खेत मे ले जाकर पटक दिया तथा दोनो हाथ पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया प्रार्थिनी की आवाज नहीं निकल पा रही थी। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थिनी का हाथ पकड़े हुए था और विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थिनी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया फिर विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थिनी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। मौका पाकर प्रार्थिनी ने विपक्षी संख्या 2 के हाथ में दात काटा तथा बहुत हाथ पैर मारा परन्तु विपक्षीगण 2 थे और प्रार्थिनी अकेली। प्रार्थिनी चिल्लाने का प्रयास करती तो विपक्षीगण चाकू से मार डालने के लिए पेट में चाकू लगाते। मौका पाकर प्रार्थिनी चिल्लाई तो रास्ते में डीजल लेकर लौट रहे जगदीश ने आवाज सुना और कहा कौन है पकड़ ाले आ गया हूं तथा जगदीश की आवाज सुनकर महादेव दौड़कर घटनास्थल पर आये तथा गांव के तमाम लोग इकटठा हो गये। आवाज सुनते ही विपक्षीगण प्रार्थिनी को छोड़ कर भागे और जाते समय प्रार्थिनी के गले की चेन व नाक की नथुनी छीन कर लात से मारकर कहा कि साल पासिन बहुत चिल्लाती है। मौका मिला तो जान से हाथ धोवोगी। प्रार्थिनी सभी लोगों के साथ अपने घर आई और परिवार वालों से सारा हाल बातया तथा सुबह जब उसका पति आया तो पति के साथ थाने पर गयी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी घर चली आई तथा दिनांक 05–07–2011 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया परन्तु मुकदमा नहीं लिखा गया। तदनुसार मुकदमा दर्ज कराये जाने की याचना की। वादिनी मुकदमा के उक्त प्रार्थना पत्र पर अवर न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्तगण आशाराम व भग्गू के विरूद्ध अपराध संख्या 1711/2011 अन्तर्गत धारा 376, 392, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

3– विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया व अभियुक्तगण तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तगण आशाराम व भग्गू के विरूद्ध धारा 376, 392, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पृथक–पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

इस प्रकरण में अभियुक्त भग्गू के विरूद्ध विचारण करते हुए दिनांक

30–06–2016 को उसे दोषमुक्त किया जा चुका है।

4– सत्र सुपुर्दगी के उपरान्त अभियुक्त आशाराम को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त आशाराम के विरूद्ध दिनांक 25–05–2015 को धारा 376, 392, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध का आरोप विरचित किया गया, अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये–

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1–	वादिनी मुकदमा रजनी	पी0डब्लू–1
2–	साक्षी महादेव	पी0डब्लू–2
3–	साक्षी जगदीश	पी0डब्लू–3
4–	साक्षी उपनिरीक्षक नन्दू गौतम	पी0डब्लू–4
5–	साक्षी डा0 सुषमा सिंह	पी0डब्लू–5

अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तदनुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6– अभियोजन की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

वादिनी मुकदमा द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–1, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, चिकित्सीय प्रपत्र प्रदर्श क–5 लगायत प्रदर्श क–9, मुकदमा कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–10, आरोप पत्र प्रदर्श क–11

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

7– अभियुक्त ने अपने बयान अर्न्तगत धारा 313 सीआर0पी0सी0 में कथन करते अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों को गलत बताया, साक्षी पी0डब्लू–1 लगायत पी0डब्लू–3 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है, साक्षी पी0डब्लू–4 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत साक्ष्य दिया है, पी0डब्लू–5 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि कुछ नहीं कहना है। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलने व अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने रंजिशन साक्ष्य दिये जाने का

कथन किया। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी निर्दोष है उसे रंजिशन फंसाया गया है।

08– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को पूर्व में सविस्तार सुना जा चुका है। मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

09– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 पीड़िती रजनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करते हुए बयान दिया है कि मैं अनुसूचित जाति पासी बिरादरी की अनपढ़ महिला हूं। मेरे पति मजदूरी करने बाहर चले गये थे मैं घर पर अकेली थी। दिनांक 29–06–2011 को आठ बजे शौंच के लिए मैं अपने घर से उत्तर गयी थी जैसे ही मैं शौंच के लिए बैठी दो आदमी जो मुंह मे गमछा बांधे थे मुझे उठा ले गये। गन्ने के खेत मे मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया। मेरे चिल्लाने पर वह लोग मुझे छोड़ कर भाग गये। मैने घटना की सूचना फोन से अपनी पति को दी थी तो मेरे पति घर पर आये तब मैने सारी बाते बताई। मुल्ज्मान भागते समय मेरी नथुनी छीनकर भाग गये थे। मैं अपने पति के साथ थाने पर व एस0पी0 श्रावस्ती को प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब कचहरी आकर वकील साहब के माध्यम से न्यायालय पर 156 (3) सीआर0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्षी को पत्राावली मे संलग्न मूल प्रार्थना पत्र 156 (3) सीआर0पी0सी0 दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि वकील साहब ने प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था यह मुझे नहीं बताया था लेकिन मेरे निशानी अंगूठा लगवाये थे। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन आशाराम ने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया था उनको मैं पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वह लोग मुंह पर गमछा बांधे थे। घटना के समय मैं अकेली शौंच करने गयी थी और वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जो प्रार्थना पत्र 156 (3) सीआर0पी0सी0 मैने न्यायालय पर दिया था उसमें किसी अभियुक्त का नाम वकील साहब ने नहीं बताया था। उन्होने अगर किसी का नाम लिख लिया है तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकती हूं। 156 (3) सीआर0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर क्या लिखा था उसको पढ़कर वकील साहब ने नहीं सुनाया था मेरा टाप लगवा लिया था। आशाराम ने मेरी नथुनी नहीं छीनी थी। आशाराम ने मुझे जातिसूचक गाली नहीं दी थी और न ही मुझे आशाराम ने जान से मारने की धमकी दी थी। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान नहीं लिया था। यह कहना सही है कि आशाराम ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था।

10– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू– 2 महादेव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन

किया है कि मै। घटना के समय गांव पर नहीं था बाहर था। मैं साधू सन्यासी हूं। अक्सर बाहर विचरण किया करता हूं। मेरे सामने आशाराम व भग्गू रजनी के साथ कोई बुरा काम नहीं किये थे और रजनी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार नहीं किये थे। 29–06–2011 को मैं अपने गांव सुल्तानपुर जोत चहलवा में नहीं था। मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी थी। सी0ओ0 साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर इस साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा इस साक्षी ने जिरह करने पर जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि रजनी मेरे गांव में राजेश की पत्नी है मैं जानता हूं। मेरे सामने रजनी को आशाराम व भग्गू जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ बुरा काम किया था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस साक्षी ने अपने 161 सीआर0पी0सी0 के साक्ष्य से इन्कार किया और कहा कि मै गांव मे नहीं था सी0ओ0 साहब ने ऐसा बयान कैसे लिख लिया है मैं इसकी वजह नहीं बता पाउंगा। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से पैसा ले लेने के कारण मै झूठी गवाही दे रहा हूं।

11– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–3 जगदीश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरा घर जयनगरा शिवगढ़ कला में है। आज से चहलाव दा0 सुल्तान जोत में मेरा घर नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरा खेत चहलवा गांव सभा में है। मै खेत देखने गया था मैने कोई घटना नहीं देखी थी। रजनी ने मुझसे कुछ नहीं बताया था। बलात्कार के बारे में मै कुछ नहीं जानता हूं। मैं आशाराम व भग्गू को खेत से भागते हुए नहीं देखा है। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान नहीं लिया था।

इस स्तर पर इस साक्षी को अभियोजन पक्ष की तरफ से पक्षद्रोही घोषित किया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा इस साक्षी से जिरह करने पर जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि चहलवा गांव में न तो मेरी खेती है और न घर है। चहलवा गांव के बार्डर पर मेरी खेती है। मेरे गांव से चहलवा दो किलोमीटर की दूरी पर है। मुल्जिमान जब जेल गये थे तब मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपने 161 सीआर0पी0सी0 के बयान से इन्कार किया और कथन किया कि मुझसे कोई बयान नहीं लिया था अगर दरोगा जी ने कोई बयान लिखा है तो मै इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि मुल्जिमो को बचाने के लिए मैं झूठा बयान दे रहा हूं।

12– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–4 उपनिरीक्षक ने अपने सशपथ बयान में कथन

करते हुए दिनांक 09–10–2011 को थाना मल्हीपुर में बतौर हेड मोहर्रिर तैनात होने, वादिनी मुकदमा के प्रार्थना पत्र 156 (3) सीआर0पी0सी0 व न्यायालय के आदेश के अनुपालन तथा थानाध्यक्ष के निर्देशन में इस मामले में अभियोग पंजीकृत किये जाने व मुकदमा कायमी जी0डी0 तैयार किये जाने का बयान देते हुए एफ0आई0आर0 व मुकदमा कायमी जी0डी0 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर मे होने की पुष्टि करते हुए उन्हें क्रमश प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि एफ0आई0आर0 मैने अपने हस्तलेख में दर्ज किया था न्यायालय के आदेश पर मैने एफ0आई0आर0 दर्ज किया था। प्रार्थना पत्र मुझे डाक से प्राप्त हुआ था। थानाध्यक्ष महोदय के आदेश पर उसी तहरीर के आधार पर एफ0आई0आर0 मेरे द्वारा दर्ज किया गया था। एफ0आई0आर0 दर्ज करने में कितना समय लगा था मुझे याद नहीं है। जी0डी0 कायमी मेरे हस्तलेख में है। एफ0आई0आर0 दर्ज होने के दूसरे दिन विवेचक ने मेरा बयान लिया था। यह कहना गलत है कि अपने उच्चाधिकारियों के दबाव में आकर मैने गलत एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर दिया है।

13– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 डा0 सुषमा सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31–10–2021 को मैं महिला जिला अस्पताल में इमरजेंसी डयूटी पर थी। पीड़िता रजनी देवी पत्नी राजेश कुमार निवासी चहलवा थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती का डाक्टरी परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था जिसे महिला कांस्टेबिल सरोज श्रीवास्तव मेरे पास लेकर आयी थी। पीड़िता की मानसिक व शारीरिक स्थिति सही थी वह शादी शुदा थी। उसकी पहचान चिन्ह एक काला तिल जो उसके चेहरे पर था जो बांये चेहरे पर मुंह से दो सेमी दूर था। अक्जेलरी और प्यूबिक हेयर उपस्थित थी। कोई खून कीचड़ या डिस्चार्ज नहीं था। हाइमेन कोल्ड डार्क था। कोई चोट का निशान नहीं था। यूटस नार्मल साइज था उसकी वजाईनल स्मेयर स्लाईड पर बनाकर और शील्ड कर जांच के लिए भेजी गयी। कोई जीवित व मृत स्पर्म है जांच के लिए भेजी गयी उम्र निर्धारण के लिए सी0एम0ओ0 भेजा गया। तत्पश्चात जांच प्राप्त होने के बाद पूरब रिपोर्ट मेरे द्वारा बनाया गया। पैथालोजी जांच में कोई भी जीवित या मृत स्पर्म नहीं पाया गया। उसके सारे ज्वाईट एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार एल्बो ज्वाईंट, नी ज्वाईंट, सोल्डर ज्वाइंट, रिस्त ज्वाईंट सभी जुड़े पाये गये। सी0एम0ओ0 बहराईच की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 18–19 साल के बीच की थी। मेरी राय में कोई निश्चित राय बलात्कार के सम्बन्ध में नहीं दी जा सकती है। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 4/4 व कागज संख्या ए 6/1 मेडिकल रिपोर्ट दिखाया गया

तो साक्षी ने कहा कि यह मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं जिसपर पहले से प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–5 पहले से अंकित है।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे द्वारा रजनी देवी का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें रजनी देवी को कोई आन्तरिक व वाह्य चोट नहीं पाई गयी थी न ही कोई जीवित या मृत शृक्राणु पाये गये थे मेडिकल परीक्षण के समय पीड़िता रजनी देवी शादी शुदा थी। बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती।

<u>निष्कर्ष</u>

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति का सदस्य न होते हुए भी और यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता जो अनुसूचित जाति की सदस्या है, को घटना की तिथि, समय एवं स्थान पर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया, उसके गले की चेन व नथुनी छीना, उसे मारा पीटा, गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी।

<u>अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता एवं इस आधार पर घटना कारित किए जाने में अभियुक्तगण की संलिप्तता–:</u>

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29–06–2011 को शाम करीब 8 बजे रात जब प्रार्थिनी का पति मजदूरी करने बाहर गया था प्रार्थिनी शाम को शौच के लिए घर के उत्तर के तरफ मैदान की ओर अकेली गयी थी। प्रार्थिनी अपने घर से 100 कदम दूर गयी जहां विपक्षीगण संख्या 1 ता 2 पहले से घात लगाकर बैठे थे और प्रार्थिनी के पास पहुंच कर उसके चेहरे पर टार्च लगाया और विपक्षीगण ने प्रार्थिनी का मुंह साध कर उठा लिया और कुछ दूर गन्ने के खेत मे ले जाकर पटक दिया तथा दोनो हाथ पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया प्रार्थिनी की आवाज नहीं निकल पा रही थी। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थिनी का हाथ पकड़े हुए था और विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थिनी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया फिर विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थिनी के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। मौका पाकर प्रार्थिनी ने विपक्षी संख्या 2 के हाथ में दात काटा तथा बहुत हाथ पैर मारा परन्तु विपक्षीगण 2 थे और प्रार्थिनी अकेली। प्रार्थिनी चिल्लाने का प्रयास करती तो विपक्षीगण चाकू से मार डालने के लिए पेट में चाकू लगाते। मौका पाकर प्रार्थिनी चिल्लाई तो रास्ते में डीजल लेकर लौट रहे जगदीश ने आवाज सुना और कहा कौन है पकड़ लो आ गया हूं तथा जगदीश की आवाज सुनकर महादेव दौड़कर घटनास्थल पर आये

तथा गांव के तमाम लोग इकटठा हो गये। आवाज सुनते ही विपक्षीगण प्रार्थिनी को छोड़ कर भागे और जाते समय प्रार्थिनी के गले की चेन व नाक की नथुनी छीन कर लात से मारकर कहा कि साल पासिन बहुत चिल्लाती है। मौका मिला तो जान से हाथ धोवोगी।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन रजनी जो पीड़िता है, पी0डब्लू–1 के रूप में परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे पति मजदूरी करने बाहर चले गये थे मैं घर पर अकेली थी। दिनांक 29–06–2011 को आठ बजे शौंच के लिए मैं अपने घर से उत्तर गयी थी जैसे ही मैं शौंच के लिए बैठी दो आदमी जो मुंह मे गमछा बांधे थे मुझे उठा ले गये। गन्ने के खेत मे मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया। मेरे चिल्लाने पर वह लोग मुझे छोड़ कर भाग गये। मैने घटना की सूचना फोन से अपनी पति को दी थी तो मेरे पति घर पर आये तब मैने सारी बाते बताई। मुल्ज्मान भागते समय मेरी नथुनी छीनकर भाग गये थे।

इस प्रकार, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा मे अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और अपने साथ दो आदमी जो मुंह पर गमछा बांधे थे, ने उसके साथि उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार करने का कथन किया है। परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी जो कि पीड़िता है, ने कथन किया है कि घटना वाले दिन आशाराम ने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया था जिन्होने मेरे साथ बलात्कार किया था उनको मैं पहचान नहीं पाई थी। घटना के समय मैं अकेली शौंच के लिए गयी थी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। आशाराम ने मुझे जातिगत गाली नहीं दी थी और न ही मुझे आशाराम ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस इस प्रकार, स्वयं पीड़िता ने अभियुक्त की घटना में संलिप्तता से इन्कार किया है। पीड़िता का उक्त कथन पूरे अभियोजन कथानक पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है और स्वयं पीड़िता के साक्ष्य से ही कोई भी सम्पुष्टिकारण साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध प्रकाश में नहीं है और इस तरह पूरा अभियोजन कथानक खण्डित हो जाता है।

साक्षी पी0डब्लू–2 महादेव व साक्षी पी0डब्लू–3 जगदीश ने भी अपनी–अपनी मुख्य परीक्षा पक्षद्रोही साक्ष्य दिया है। साक्षी पी0डब्लू–1 ने घटना के समय गांव पर न होने तथा अभियुक्त के द्वारा रजनी के साथ कोई बुरा काम न करने का कथन किया है। जिरह में भी इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का अनुसरण करते हुए घटना में अभियुक्त की संलिप्तता से स्पष्ट इन्कार किया है। इसी प्रकार का साक्ष्य साक्षी पी0डब्लू–3 जगदीश ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा मे देते हुए अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को इस साक्षी के सामने न होने का कथन किया है।

यद्यपि इन साक्षीगण से विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है परन्तु अभियुक्त के विरूद्ध कोई सम्पुष्टिकारण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, इन साक्षियों के द्वारा अभियुक्त की घटना में संलिप्तता से स्पष्ट इन्कार करते हुए पूरे अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बना दिया है।

इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों चिक एफ0आई0आर0, आरोप पत्र, घटनास्थल की नक्शा नजरी, मेडिकल प्रपत्र, मुकदमा कायमी जी0डी0 की कार्बन प्रति की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार की गयी है किन्तु उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि चूंकि तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ कोई भी घटना कारित करने सम्बन्धी अभियोजन कथानक का खण्डन किया है। अतः ऐसी स्थिति में मात्र औपचारिक प्रपत्रों की प्रमाणिकता स्वीकृत किये जाने से घटना अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना स्थापित नहीं होता है।

निर्णय विधि दिगम्बर वैष्णव एव एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ए0आई0आर0 2019 एस0सी0, 1367 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि मात्र अनुमान एवं गम्भीर संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती क्योंकि गम्भीर संदेह विधिक साक्ष्य का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। मात्र गम्भीर संदेह के आधार पर अभियोजन का सबूत का भार समाप्त नहीं होगा।

निर्णय विधि गोविन्दा राजू उर्फ गोविन्दा बनाम स्टेट द्वारा श्री रामपुर पी0एस0 एवं एक अन्य 2012 (78) ए0सी0सी0 545 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक अपराधिक आरोप साबित नहीं होता है तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के उपर आरोपित अपराध युक्ति युक्त रूप से संदेह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करे।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एव परिस्थितियों तथा उपरोक्त निर्णय विधियों में पारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से घटना कारित किये जाने में अभियुक्तगण की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं हो रही है।

14– इसप्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एव परिस्थितियों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूं कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त आशाराम के उपर लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा– 376, 392, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के

आरोप युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है। किन्तु वादिनी मुकदमा/पीड़िता श्रीमती रजनी द्वारा बतौर साक्षी पी0डब्लू–1 द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष दिये गये प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) सीआर0पी0सी0 में अंकित कथनों के प्रतिकूल मिथ्या साक्ष्य दिया जाना प्रतीत हो रहा है। अतः वादिनी मुकदमा/पीड़िता श्रीमती रजनी देवी के विरूद्ध धारा 344 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज कराया जाना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त आशाराम के उपर लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा– 376, 392, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (xii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके जमानतियों को जमानतीय दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा अभियुक्त के बन्धपत्र निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं0पं0सं0 के अर्न्तगत दाखिल जमानतें निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

अपील न होने की दशा में बाद मियाद अपील व अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार विधिनुसार माल मुकदमाती यदि कोई हो, निस्तारित किया जावे।

वादिनी मुकदमा/पीड़िता श्रीमती रजनी देवी के विरूद्ध धारा 344 सीआर0पी0सी0 के अर्न्तगत पृथक से प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाये।

दिनांक 31–03–2026

(अवनीश गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
श्रावस्ती।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 31–03–2026

(अवनीश गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
श्रावस्ती।